दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 30 अक्टूबर, 2013
निर्णीत : 8 नवंबर, 2013

आप.अ. 706/2000

ज़रार खान उर्फ़ मुल्ला ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अजय मालवीय, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन दुदेजा, अति.लो.अभि.।

और

आप.अ. 652/2000

मो. नज़ीर ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अजय मालवीय, अधिवक्ता।

बनाम

(रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन दुदेजा, अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

<u>न्या. एस.पी. गर्ग</u>

1. शंकर, साहिद खान, अतीक अहमद, ज़रार खान उर्फ़ मुल्ला (अ-1) और मोहम्मद नज़ीर (अ-2) को प्राथमिकी सं. 246/94 के अंतर्गत पुलिस थाना रूप नगर की पुलिस ने गिरफ़्तार किया और धारा 394/397/307/34 भा.दं.सं. / 120ख भा.दं.सं. और 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारणार्थ भेज दिया। उनके विरुद्ध आरोप थे कि 15.11.1994 को लगभग 05.30 बजे शाम को दुकान सं. 12/21, शक्ति नगर में उन्होंने रिवॉल्वर और खंजर का उपयोग करते हुए डकैती की और परिवादी चंद्रकांत को घायल कर दिया और उससे चमड़े के बैग में रखे 17,000 रुपये नकद, चेक और अन्य दस्तावेज़ छीन लिए। घटना के बाद परिवादी चंद्रकांत ने हमलावरों का पीछा किया। शंकर ने अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से गोली चलाई और नागिया पार्क में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। जाँच के दौरान, तथ्यों से अवगत साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। शंकर के प्रकटीकरण बयान के अनुसार, अन्य हमलावरों को अलग-अलग तिथियों पर गिरफ़्तार किया गया और उनके कब्ज़े से हथियार बरामद किए गए। लूटी गई वस्तुएँ भी बरामद की गईं। जाँच पूरी होने के बाद, उन सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उन पर विधिवत आरोप लगाए गए और उन्हें विचारण में लाया गया। अभियोजन पक्ष ने उनका अपराध

साबित करने के लिए सत्रह साक्षियों का परीक्षण किया। अपने 313 बयानों में, हमलावरों ने अपराध में अपनी मिलीभगत से इनकार किया और अनुरोध किया कि उन्हें मिथ्या रुप से फँसाया गया है। साक्ष्यों की विवेचना करने और पक्षकारगण के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सत्र मामला सं. 144/96 में दिनांक 26.09.2000 के आक्षेपित निर्णय द्वारा शंकर, अ-1 और अ-2 को धारा 392/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया। शंकर और अ-1 को भा.दं.सं. की धारा 397 के अंतर्गत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया। शंकर को भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया। 27.09.2000 के आदेश द्वारा जुर्माने के साथ-साथ विभिन्न कारावास की अवधि अधिरोपित की गई। साहिद खान और अतीक अहमद को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। राज्य ने उनके बरी होने को चुनौती नहीं दी। इससे व्यथित होकर, अ-1 और अ-2 ने अपीलें दायर की हैं।

2. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परीक्षण किया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने दृढ़ता से आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। अपीलार्थीगण को उनकी गिरफ़्तारी के बाद पुलिस थाना में साक्षियों को दिखाया गया और उन्हें पहचान परीक्षण कार्यवाही में भाग लेने से मना करने के लिए विवश किया गया। अपीलार्थीगण से बरामद नकदी और चेक उनके विशेष कब्ज़े

में नहीं थे और इन वस्तुओं को मुहरबंद नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह पता लगाने के लिए कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया कि संबंधित चेक परिवादी के पास कब और कैसे आए। अभि.सा.-6 राज पाल सिंह पुलिस का एक स्टॉक साक्षी था और उसके परिसाक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष परिवादी के साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित हैं, जिन्होंने न्यायालय में अपीलार्थीगण की पहचान की थी। उनके कब्ज़े से लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी उन्हें अपराध से जोड़ने के लिए एक अतिरिक्त परिस्थिति है।

3. मुख्य हमलावर शंकर, जिसने अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से गोली चलाई और परिवादी को घायल किया था, ने दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी और कथित तौर पर, उसे दिया गया दंड पहले ही पूरा कर लिया है। पास में मौजूद पुलिस अधिकारियों की सहायता से परिवादी द्वारा पीछा करने के तुरंत बाद शंकर को पकड़ लिया गया। अ-1 को 16.11.1994 को गिरफ़्तार किया गया और उसके प्रकटीकरण बयान के अनुसार 19.11.1994 को उसके घर से 12,000/- रुपये नकद बरामद किए गए। अ-2 को 29.11.1994 को गिरफ़्तार किया गया और उसके कब्ज़े से नकदी के साथ दो चेक बरामद किए गए। महत्वपूर्ण परिसाक्ष्य परिवादी चंद्रकांत का है, जिसके पास डकैती/लूट की घटना को फ़र्ज़ी बनाने का कोई अतिरिक्त उद्देश्य नहीं था। वह हमलावरों को नहीं

जानता था और उसे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। हमलावरों का नाम प्राथमिकी में नहीं था। घटना के दिन अर्थात् 15.11.1994 को, विनोद एंटरप्राइज़ेज़, 12/21, शक्ति नगर, में 1986 से विक्रय सहायक चंद्रकांत हमेशा की तरह अपने कार्यालय में मौजूद था। शाम 05.30 बजे, शंकर और अ-1 ग्राहक बनकर कार्यालय में आए और 'ज्वाइनिंग शीट' खरीदने के लिए उससे बातचीत की। इसके तुरंत बाद, उनके साथी भी दुकान के अंदर घुस गए। शंकर के पास रिवॉल्वर थी और अ-1, जिसके पास चाकू था, ने चंद्रकांत पर हथियार तान दिए और जो कुछ भी उसके पास था, उससे माँग लिया। जब उसने अपने पास मौजूद नकदी के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की, तो शंकर ने रिवॉल्वर के पिछले भाग से उसके सिर पर वार किया। चंद्रकांत ने अ-2 को विशेष भूमिका सौंपी, जिसने दुकान के अंदर घुसने के बाद टेलीफ़ोन के तार काट दिए। अ-1 ने 17,000/- रुपये, राशन कार्ड, कुछ चेक और कागज़ात से भरा हैंडबैग छीन लिया। प्रतिपरीक्षा में, उसके परिसाक्ष्य को खंडित नहीं किया जा सका और उस पर अविश्वास करने की कोई दुर्बलता सामने नहीं आई। हमलावरों की गिरफ़्तारी के बाद, जाँच अधिकारी ने पहचान परीक्षण कार्यवाही के लिए आवेदन किया। हालाँकि, हमलावरों ने यह आरोप लगाते हुए टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें पुलिस थाना में साक्षियों को दिखाया गया था। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि पुलिस ने उन्हें कब और किस पुलिस थाना में दिखाया था। फिर भी, परिवादी - चंद्रकांत, जिसने

अपने बयान (प्र.अभि.सा.-1/क) में हमलावरों का विवरण पुलिस को पहले ही दे दिया था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के न्यायालय में अ-1 और अ-2 की पहचान की। परिवादी का हमलावरों के साथ पर्याप्त समय तक सीधा सामना हुआ था, जिससे उसे अपराधियों के व्यापक रूप को देखने और समझने का पर्याप्त अवसर मिला था। न्यायालय में अ-1 और अ-2 की गलत पहचान करने के लिए परिवादी का कोई गुप्त आशय नहीं था। यह सुस्थापित है कि साक्षी का ठोस साक्ष्य न्यायालय में उसकी पहचान का साक्ष्य है। परिवादी, जो घटना में घायल हो गया था और जिसे हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया था, का अभि.सा.-3 (अरुण जैन) द्वारा 15.11.1994 को रात 09.00 बजे चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था। पूरे शरीर के चिकित्सा विधिक मामले (प्र.अभि.सा-3/क) के अनुसार बाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 1 सेमी का स्पष्ट विदीर्ण घाव (सीएलडब्लू), बाएँ अंगूठे पर खरोंच, दाएँ अंगूठे पर खरोंच पाई गई। नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई संघर्ष नहीं है और अभि.सा.-1 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की गई है। हमलावरों के कब्ज़े से लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी उन्हें अपराध से जोड़ने के लिए अपराध में फँसाने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। पुलिस से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह अपीलार्थीगण को मिथ्या रूप से फँसाने के लिए उनके 12,000/- रुपये की बड़ी रकम रखेगी। उनके कब्ज़े से अलग-अलग विवरणों वाले चेक भी बरामद किए गए।

4. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उजागर किए गए छोटे-मोटे विरोधाभास और विसंगतियाँ परिवादी, जो घटना में पीड़ित/घायल था, के विश्वसनीय और भरोसेमंद बयान को निर्रथक करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्वाभाविक और संभावित थी। पीछा करने के बाद घटना के तुरंत बाद शंकर की गिरफ़्तारी उसके द्वारा बताए गए बयान को विश्वसनीयता प्रदान करती है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के सभी प्रासंगिक प्रतिविरोधों पर बारीकी से विचार किया है और उन्हें वैध कारणों से खारिज कर दिया है। निष्कर्ष साक्ष्य के उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सह-अभियुक्त - साहिद खान और अतीक अहमद को बरी किए जाने का अपीलार्थीगण के दंड पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश करने में सक्षम था। अ-1 को भा.दं.सं. की धारा 397 के अंतर्गत दिया गया दंड न्यूनतम निर्धारित दंड है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अ-2 के 27.10.2010 के नामावली से पता चलता है कि उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ चार साल के लिए कठिन कारावास का दंड दिया गया था। 11.04.2001 को वह छह महीने और पंद्रह दिन तक अभिरक्षा में रहा और दो महीने की छूट भी अर्जित की। अभिरक्षा में विचाराधीन अवधि का पता नहीं लगाया जा सका। इससे यह भी पता चलता है कि अ-2 की कोई पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि/पूर्ववृत्त नहीं था और वह किसी अन्य आपराधिक मामले में

शामिल नहीं था। उसका समग्र जेल आचरण संतोषजनक था। नामावली में उसकी उम्र बीस वर्ष दर्ज की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पहला अपराधी था और उसने घटना में किसी हथियार का उपयोग नहीं किया था, अतः उसके दंड में संशोधन की आवश्यकता है। परिस्थितियों को कम करने पर विचार करते हुए, मूल दंड को घटाकर दो वर्ष कर दिया जाता है। दंड आदेश के अन्य नियमों और शर्तों को अपरिवर्तित छोड़ा जाता है।

5. अ-1 द्वारा प्रस्तुत अपील गुणागुण रहित है और खारिज की जाती है। अ-2 की अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है, जिसके अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 392 के अधीन दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए मूल दंड को चार वर्ष के कठिन कारावास से घटाकर दो वर्ष का कठिन कारावास कर दिया जाता है।

6. अपीलार्थीगण (अ-1 और अ-2) को आत्मसमर्पण करने और अपने दंड की शेष अवधि पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें 15.11.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। रजिस्ट्री को निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत प्रेषित करना होगा।

(एस.पी. गर्ग)
न्यायाधीश

08 नवंबर, 2013

टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*